उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

टावर द्वितीय तृतीय तल पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमती नगर लखनऊ

पत्र संख्या–चार–500–निर्देश–2020 दिनांक 26/02/2025

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश

विषयः उ0प्र0 पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मिको के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयकों के भुगतान के सम्बन्ध मे।

....

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– शासनादेश संख्या–2/2025 /वे0आ0–2–77/दस–2025–ई0प0क0सं0 1846680 दिनांक 10.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्मियों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयकों एवं अन्य देयों के भुगतान हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। जिसका अनुपालन कार्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष द्वारा नही किया जा रहा जा रहा है।

02– मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–11527/2014 पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह व अन्य मं पारित आदेश दिंनाक 18.12.2014 का मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

03– पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशानुसार आगामी 05 वर्षो में सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का शत प्रतिशत वेतन का परीक्षण शासनादेश दिनांक 16.08.2021 एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या–चार–500–निर्देश–2020 दिंनाक 19.08.2021 के प्रस्तर–02 के उप प्रस्तर–04 अंकित है कि "जनपद/इकाई स्तर पर वेतन निर्धारण संशेधन में किसी प्रकार की भ्रान्तियॉ/कठिनाई उत्पन्न होने पर स्थापना अनुभाग(Establishment) पुलिस मुख्यालय से दिशा–निर्देश प्राप्त करके वॉछित कार्यवाही की जायेगी।" अतएवं जनपद /इकाई स्तर पर गठित कमेटी से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन का परीक्षण शत प्रतिशत करा लिया जाये। शतप्रतिशत वेतन परीक्षण न कराये जाने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होगा ।

05– वर्ष 1982/1983 एवं 1984 के भर्ती आरक्षी जिन्हें प्रशिक्षण अवधि जोडकर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान (24 वर्षीय लाभ) दिंनाक 30.11.2008 से पूर्व देय था उन्हें शासनादेश शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1318 /दस –59(एम)/2008 दिंनाक 08.12.2008 द्वारा दिये गये प्राविधानों में वर्णित है कि " कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनबृद्धि की तिथि तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोडने तक, वर्तमान वेतन में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता

Scanned with OKEN Scanner

है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहॉ सरकारी सेवक को दिंनाक 01.01.2006 तथा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतन के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान /सेलेक्शन ग्रेड आदि के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वहॉ सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, समयमान वेतन के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने की तिथि से संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है। ".शासनादेश दिनांक 08.12.2008 के प्रस्तर 02 में यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह (90 दिवस) के अन्दर कर्मी विकल्प चुन सकता है। यदि कर्मी निर्धारित अवधि के अन्दर विकल्प नही चुनता है तो यह मान लिया जायेगा कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा ।शासनादेश दिनांक 08.12.2008 एवं 05.11.2014 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार कोई सरकारी सेवक वर्तमान वेतनमान में (पंचम वेतनमान) उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनबृद्धि की तिथि तक अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तथा वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुनता है तो उसे वर्तमान वेतनमान में 24 वर्षीय सेवा का लाभ अर्थात द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान की देयता तिथि(प्रस्तुत प्रकरण में) से 14430– ग्रेड पें 4200 निर्धारित होगा, परन्तु उपरोक्त वर्षो के भर्ती कार्मिकों द्वारा शासनादेश दिनांक 08.12.2008 एवं 05.11.2014 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार कोई विकल्प न देने एवं दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना (छठे वेतनमान) में दिनांक 01.01.2006 से द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान की तिथि तक की अवधि का एरियर का भुगतान प्राप्त होने के कारण नियमानुसार याची को 24 वर्षीय सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति वेतन लाभ स्वीकृत तिथि से 13500–00 ग्रेड पें 4200 निर्धारित योग्य था, परन्तु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा याची को 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वेतन मान का लाभ की तिथि से रू0 14430–00 ग्रेड पें 4200 निर्धारित कर दिया गया था। जो शासनादेश दिनांक 08.12.2008 एवं 05.11. 2014 के विपरीत है।कर्मी द्वारा दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग का चयन कर लिये जाने के कारण द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान का लाभ की तिथि दिनांक 01.07.2006 को ग्रेड पें 2400–00 तथा ग्रेड पें 4200–00 का अन्तर रू0 1800–00 का लाभ देते हुये वेतन रू0 13500–00ही नियमानुसार देय है। इसी प्रकार दिनांक 01.04.2008 के रैकर उ0नि0 के पद पर पदोन्नति होने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिंनाक 01.01.2016 को परिलब्धियों के आधार पर वेतन संशोधित होने के फलस्वरूप रैकर उ0नि0 को दिनांक 01.04.2008 को रू0 13500/– ग्रेड पें 4200/– देय है, परन्तु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिंनाक 01.04.2008 को रू0 14430–00 ग्रेड पें 4200–00 प्रदान कर दिया जा रहा है। जिसके कारण वेतन विसंगति उत्पन्न होती है।

04 शासनादेश संख्या 6/2015/वे0आ0–2–123/दस–62(एम)/2008 दिंनाक 12.02.2015 के प्रस्तर (2क) के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पद धारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम 06 माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली 01 जुलाई को ही देय होगी।

05– उर्दू अनुवादक दिंनाक 01.01.2006 से ग्रेड पें 1900 में निर्धारित होना चाहिए, जबकि ग्रेड पें 2000 में कर दिया गया है। साथ ही शासनादेश संख्या– 15/10/94–का–4–2011 दिंनाक 30.11.2011 द्वारा 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उर्दु अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक पद नामित करते हुए वेतनमान रू0 4500–7000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 में पद सहित उच्चीकृत किया गया है। ग्रेड वेतन रू0 2800 में पद सहित उच्चीकृत होने पर कर्मी का वेतन

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश दिनाक 24.12.2009 के अनुसार वेतन निर्धारित किये जाने का आदेश शासन द्वारा दिया गया है, परन्तु कार्यालय द्वारा उक्त शासनादेश के विपरीत मूल नियम 22बी के अनुसार वेतन निर्धारित कर दिया गया है, जो अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण है।

शासनादेश दिनाक 15.05.2015 के प्रस्तर 03 के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनाक 21.02.2007 के प्राविधानानुसार उर्दु अनुवादक सहवरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पर द्वितीय एसीपी दिये जाने का प्रावधान है अथवा वर्ष 2013 में द्वितीय एसीपी में ग्रेड पें 4200 दिया जाने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है।

06– शासनादेश दिनाक 13.08.2015 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वेतन दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पें 1800 देय है तथा दिनाक 01.01.2006 से पूर्व 14 वर्षीय लाभ स्वीकृत होने के उपरान्त दिनाक 01.01.2006 को ग्रेड पें 1900–00 देय है एवं दिनाक 01.01.2006 से पूर्व 24 वर्षीय लाभ स्वीकृत हो चुका है, तो दिनांक 01.01.2006 को वेतन ग्रेड पें 2000 में निर्धारित होना चाहिए, परन्तु जनपद /ईकाइ द्वारा द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान प्राप्त कर्मी का वेतन दिनाक 01.01.2006 को ग्रेड पें 2400–00 निर्धारित किये जाने के कारण वेतन विसंगति उत्पन्न होती है।

शासनादेश दिनाक 13.08.2015 के अनुसार दिनाक 01.01.2006 से 30.11.2008 के मध्य 14 वर्षीय लाभ स्वीकृत होने पर ग्रेड पें 1800 से 1900–00 की अन्तर की धनराशि रू0 100–00 देय है, परन्तु जनपद इकाई द्वारा ग्रेड पें 2400–00 का लाभ स्वीकृत करके एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया जाता है। जिसके कारण वेतन विसंगति उत्पन्न होती है। शासनादेश दिनाक 13.08.2015 के अनुसार दिनाक 01.01.2006 से 30.11.2008 के मध्य 24 वर्षीय लाभ स्वीकृत होने पर ग्रेड पें 1900–00 से ग्रेड पें 2000–00 के अन्तर की धनराशि रू0 100–00 देय है, परन्तु जनपद इकाई द्वारा ग्रेड पें 2400–00 का लाभ स्वीकृत करके एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया जाता है। जिसके कारण वेतन विसंगति उत्पन्न होती है।

07– <u>लेवल–9 एवं 10 के संबंध में</u>

शासनादेश दिनांक 02.02.2009 में दी गयी व्यवस्थानुसार पुलिस विभाग में लिपिकीय भाखा के कर्मियों कमशः एएसआई(एम)/एसआई(एम)/ निरीक्षक (एम)/पुलिस उपाधीक्षक(एम) लिपिक/लेखा एवं एसआई/निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक गोपनीय के सेवा संवर्ग में ग्रेड वेतन रू0 5400/– में सीधी भर्ती नही होती है इसलिए इन पद धारकों का वेतन सातवें वेतन आयोग में लेवल–9 निर्धारित किया जायेगा।

इसी प्रकार उप निरीक्षक/निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग में ग्रेड पे रू0 5400/–सीधी भर्ती होने तथा पदोन्नति से भी ग्रेड पे रू0 5400/– में नियुक्त होने के कारण उक्त शासनादेश के अनुसार इन धारको का वेतन लेवल–10 में निर्धारित किया जाये।

08. शासनादेश दिनाक 02.12.2000 एवं 05.11.2014 के अनुसार संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा सम्बन्धी लाभ देय है, परन्तु कर्मी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त भी समस्त सेवा सम्बन्धी लाभ स्वीकृत कर दिये जाते है, जिसके कारण वेतन विसंगति उत्पन्न होती है।

तक ही लागू है, परन्तु जनपद /इकाई द्वारा प्रशिक्षण अवधि का लाभ 19 वर्षीय, 24 वर्षीय एवं 26 वर्षीय लाभ में जोड़ दिये जाने के कारण वेतन विसंगति उत्पन्न होती है।

10. शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के अनुसार 02 जनवरी से 30 जून के मध्य पड़ने वाली ए0सी0पी0 में कर्मी का विकल्प पत्र न लेकर कर्मी को एसीपी की दिनांक को ए0सी0पी0 में ग्रेड पे की अन्तर की धनराशि एंव 01 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया जाता है तथा 06 माह की अवधि पूर्ण न होने पर भी अगली वेतन वृद्धि प्रदान कर दी जाती है, जबकि अगली वेतन वृद्धि 06 माह की अवधि पूर्ण होने पर ही वेतन वृद्धि देय है।

11– शासनादेश दिनाक 21.11.2016, 16.08.2021 एवं 28.08.2024 में दिये गये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय तथा वसूली न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी से उक्त धनराशि की वसूली की जाय। उक्त में कोई विचलन अथवा शिथिलता स्वीकार्य न होगी।

12– अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिंनाक 18.12.2014 , शासनादेश दिंनाक 21.11.2016, 16.08.2021 , 28.08.2024 एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिंनाक 19.08.2021 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(अशोक कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
लखनऊ

प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–18–रिट –65/2024 दिंनाक 22.01.2026 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।